संख्याः — /XII(1) /2016- 96(06)/2015–टी0सी0–II

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक : 12 अप्रैल, 2016

विषय : 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के उपभोग/व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–G–39011/4/2015–FD दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि में अनुमन्य 10 प्रतिशत धनराशि कन्टीजेन्सी मद में अनुमन्य की गयी है। जिसके उपभोग/व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मदों/जारी निर्देशों के क्रम में निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या–1 जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में व्यवासियक मानव साधनों का संविदा के आधार पर रखे जाने का प्राविधान है। ग्राम पंचायतों को इस हेतु व्यय की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि अधिकतर ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्र में होने तथा इन पंचायतों में जनसंख्या न्यून होने के कारण इन पंचायतों को धनराशि न्यून मात्रा में प्राप्त हो रही है तथा इससे ग्राम पंचायत स्तर पर व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, किन्तु कार्यो के सम्पादन हेतु कलस्टर स्तर पर स्वीकृति दी जानी आवश्यक हों, तो इस संबंध में निदेशक, पंचायतीराज से यथा–प्रक्रिया स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. जिन ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख/प्रतिवर्ष हस्तान्तरित है, उनके द्वारा डेस्कटॉप कम्प्यूटर क्रय किया जा सकता है, परन्तु डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिण्टर एवं यू.पी.एस. की दर कुल धनराशि रू0 50,000.00 से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। यह अनुमति मात्र एक बार के क्रय तक सीमित होगी। कलस्टर/न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायतें यदि सहमत हों, तो आंकलन पर क्रय की अनुमति मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी। इसका उपयोग मात्र उन पंचायतों द्वारा किया जाएगा जिनके पास अपना पंचायत भवन उपलब्ध है। राज्य स्तर पर क्रय की दरें विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर कम्प्यूटर की उपलब्धता पर ही इण्टरनेट कनेक्टीविटी एवं आवर्ती व्यय हेतु ग्राम पंचायतों को स्वीकृति दी जायेगी, जिसमें कम्प्यूटर स्टेशनरी भी सम्मिलित होगी।
4. ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में फर्नीचर उपलब्धता के सत्यापन के उपरान्त केवल एक बार के लिए रू0 10,000.00 की सीमा तक योजना में एक बार व्यय अनुमन्य होगा। दरें विभाग द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
5. ग्राम पंचायत के कार्यालय अर्थात् पंचायत भवन परिसर में स्ट्रीट लाईट्स एवं जल आपूर्ति पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें संयोजन एवं बिल भुगतान सम्मिलित होंगी।
6. डाटा एण्ट्री पर व्यय के भुगतान हेतु स्वीकृति निर्धारित दरों पर अनुमन्य होगी। कोई व्यक्ति वेतन के आधार पर नहीं रखा जायेगा, इस संबंध में दरे जिला स्तर पर तय की जायेगी इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के लेखों को अद्यतन करने पर आने वाले व्यय (केवल एक बार के लिए) की स्वीकृति जनपद स्तर पर दी जा सकती है। दरें विभाग द्वारा तय की जायेगी।
7. चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा लेखा परीक्षा कराने पर आने वाले व्यय के भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी।

8. ग्राम पंचायतों को वर्ष में एक बार सोशल ऑडिट कराने पर आने वाले व्यय की अनुमति दी जा सकती हैं। इस हेतु प्रक्रिया एवं दरें जिला स्तर पर तय की जायेगी। सोशल ऑडिट व्यय का अंश मनरेगा, आई.ए.वाई. के प्रशासनिक व्यय से भी देय होगी।
9. कर्मचारियों को क्षमता विकास इन मदों से किए जाने की अनुमति नहीं होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के क्षमता विकास की अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को इस पर निर्णय लेने हेतु निदेशक, पंचायती राज को अधिकृत किया जाता है।
10. जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग एवं ऑडिट के कार्यो हेतु स्वीकृत कुल धनराशि की 0.5 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर, निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
11. प्रोजेक्ट के तकनीकी प्लान बनाने एवं उसके क्रियान्वयन पर आने वाले व्यय जैसे कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एव पेयजल इत्यादि पर एजेन्सी एवं कार्य का प्रकार विभाग द्वारा तय किया जायेगा।
12. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण पर आने वाली लागत तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यालय अर्थात पंचायत भवन/सार्वजनिक भवन/सरकारी भवन पर इस योजना के प्रचार–प्रसार के लिए आई0ई0सी0 के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग/पोस्टर/बैनर इत्यादि का कार्यो पर व्यय की स्वीकृति 10 प्रतिशत कण्टेजेंसी से दी जा सकती है। व्यय सीमा अधिकतम रु0 5,000.00 प्रति वर्ष होगी।
13. पंचायत भवन की उपलब्धता पर पंचायत भवन में विद्युतीकरण, जिसमें सोलर लाईट आदि भी सम्मिलित है, व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है।
14. प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष में एक बार के लिए स्टेशनरी पर व्यय हेतु रु0 5,000.00 तक की ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंत्राक संख्याः 512/XXVII/2016, दिनाक 07 अप्रैल, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 391 (1)/XII(1) /2016- 96(06)/2015–टी0सी0–II तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महालेखाकार उत्तराखण्ड।
5–अपर सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6–निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
11–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12–समस्त संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
अपर सचिव।